वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः 13567 पू0वि0वि0 / सा0प्रशा0 / एफ– /2007

दिनांक 17.12.2008

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र सिंह
पुत्र श्री आर0के0 सिंह
ग्राम– बैरी पो0– खखेरू
जिला– फतेहगढ़, यू0पी0

कार्यपरिषद के दिनांक– 16.12.2008 के निर्णय / प्रावधानों के कम में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिये फार्मेसी विभाग / संकाय / संस्थान में, प्रवक्ता के रूप में आपको अध्यापन कार्य करने की अनुमति निम्न शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन दी जाती है।

1. आप अपनी एम0फार्मा0 (प्रथम श्रेणी) की डिग्री प्रत्येक दशा में पूरी कर चुके हो, अन्यथा यह नियुक्ति पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. आपको रू0 20,000 / – नियत मानदेय प्रति माह देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. कार्यभार ग्रहण करते समय रू0 20 / – मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर संविदा पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा, जिसमें आपकी सेवा शर्तो का उल्लेख है।
4. उपरोक्त नियुक्ति के आधार पर आगे सेवा की निरन्तरता या भविष्य में किसी पद पर विनियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
5. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है। इस विषय मे कुलपति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
6. स्ववित्तपोषित पाठ्यकम के अन्तर्गत जारी शासनादेशों के कम में अनुमन्य अवकाश के अतिरिक्त अनुपस्थित रहने पर संविदा धनराशि में प्रतिदिन के दर से कटौती की जा सकेगी।
7. आप दिनांक 05.01.2009 तक संविदा के आधार पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

17/12/2008
कुलसचिव

23/12/08

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपतिजी के सूचनार्थ।
2. आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी / विभागाध्यक्ष फार्मेसी विभाग को इस आशय के कि (कम–1) की शर्तो के कम में ही अपने यहां ज्वाइनिंग करायें।
4. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, प्रशासन।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।

कुलसचिव

Registrar
V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur